



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274084
CG-DL-E-04072026-274084

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3434]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 3434]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

का.आ. 3569(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश) राज्य के लेह लद्दाख जिले में उपशी में सिंधु नदी पर NH-03 के लेह-सेरचू-मनाली रोड (मनाली को ज़ीरो मानकर) पर कि.मी. 423.87 से कि.मी. 424.087 के बीच 60 मीटर स्पैन वाले एक अलग बड़े पक्के पुल (उपशी पुल) के निर्माण के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप प्रभागीय न्यायाधीश, खारू को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपशी में एनएच-03 पर लेह-सरचू-मनाली मार्ग के किलोमीटर 423.87 से किलोमीटर 424.087 पर (मनाली को शून्य मानकर) सिंधु नदी के ऊपर 60 मीटर स्पैन वाले एक स्थायी पुल के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण।

राज्य का नाम: लद्दाख			जिले का नाम: लेह लद्दाख		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: खारू					
गांव का नाम: ईगु					
1	3368	निजी	नाँन एग्रीकल्चर (बंजर, खेती के अयोग्य)	0.0177 (हेक्टेयर)	0.0177
2	3369	निजी	नाँन एग्रीकल्चर (बंजर, खेती के अयोग्य)	0.0101 (हेक्टेयर)	0.0101
3	3412	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर (बंजर, खेती के अयोग्य)	0.0177 (हेक्टेयर)	0.0177
गांव का नाम: उपशी					
4	38 Min	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर (नदी)	0.2175 (हेक्टेयर)	0.2175
5	67 Min	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर (बंजर, खेती के अयोग्य)	0.0354 (हेक्टेयर)	0.0354
6	69 Min	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर (बंजर, खेती के अयोग्य)	0.1163 (हेक्टेयर)	0.1163
7	73	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर (बंजर, खेती के अयोग्य)	0.0253 (हेक्टेयर)	0.0253

8	74 Min	सरकारी	नाँन एग्रीकल्चर (बंजर, खेती के अयोग्य)	0.0228 (हेक्टेयर)	0.0228
9	77 Min	निजी	नाँन एग्रीकल्चर (बंजर, खेती के अयोग्य)	0.0582 (हेक्टेयर)	0.0582
10	78 Min	निजी	नाँन एग्रीकल्चर (बंजर, खेती के अयोग्य)	0.0506 (हेक्टेयर)	0.0506
Total					0.5716

[फा. सं. Secy/Rev/UTL/2021(123)/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2026

S.O. 3569(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for construction of standalone 60m span major permanent bridge (Upshi Bridge) at KM 423.87 to KM 424.087 of Leh-Serchu-Manali Road (Taking Manali as Zero) on NH-03 over the Indus river at Upshi in the district of Leh Ladakh in the UT of Ladakh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Magistrate, Kharu in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Land acquisition for the construction of standalone 60m Span Major Permanent Bridge at KM 423.87 to KM 424.087 on Leh-Serchu-Manali Road (Taking Manali as Zero) on NH-03 over Indus River at Upshi in Leh district of the Union Territory of Ladakh.

State: Ladakh			District: LEH LADAKH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kharu					
Village: Igoo					
1	3368	Private	Non Agriculture (Barren/Uncultivable)	0.0177 (Hectare)	0.0177
2	3369	Private	Non Agriculture (Barren/Uncultivable)	0.0101 (Hectare)	0.0101
3	3412	Government	Non Agriculture (Barren/Uncultivable)	0.0177 (Hectare)	0.0177
Village: Upshi					
4	38 Min	Government	Non Agriculture (River)	0.2175 (Hectare)	0.2175
5	67 Min	Government	Non Agriculture (Barren/Uncultivable)	0.0354 (Hectare)	0.0354
6	69 Min	Government	Non Agriculture (Barren/Uncultivable)	0.1163 (Hectare)	0.1163
7	73	Government	Non Agriculture (Barren/Uncultivable)	0.0253 (Hectare)	0.0253
8	74 Min	Government	Non Agriculture (Barren/Uncultivable)	0.0228 (Hectare)	0.0228
9	77 Min	Private	Non Agriculture (Barren/Uncultivable)	0.0582 (Hectare)	0.0582
10	78 Min	Private	Non Agriculture (Barren/Uncultivable)	0.0506 (Hectare)	0.0506
Total					0.5716

[F. No. Secy/Rev/UTL/2021(123)/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director